झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–17 / 2020

अलीम अंसारी उर्फ विजय उर्फ डीजे .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री के0एस0 नंदा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री दीपक कुमार, ए0पी0पी0।

2 / 15.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, गुमला थाना काण्ड संख्या–84 / 2019 तद्नुसार जी0आर0 संख्या–306 / 2019 में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता सहित कई आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जो अपराध करने की तैयारी कर रहे थे। याचिकाकर्त्ता के कब्जे से दो गैर–चालित कारतूस बरामद किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि एक सह–अभियुक्त अर्थात्, मो0 अनीश खान उर्फ सूर्या उर्फ अनीश आलम को इस न्यायालय द्वारा बी0ए0 संख्या–10419 / 2019 में जमानत दी गई है। याचिकाकर्त्ता 20.03.2019 के बाद से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000 / – (दस हजार) रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-IV, गुमला के संतुष्टि पर, गुमला थाना काण्ड संख्या–84/2019 से उत्पन्न एस0टी0 संख्या–184/2019 तद्नुसार जी0आर0 संख्या–306/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)